राजस्थान सरकार

श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

द्वारा

राजस्थान विधान सभा के समक्ष
वर्ष 2019-2020 के
बजट के सम्बन्ध में प्रस्तुत वक्तव्य

13 फरवरी, 2019

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से, मैं राज्य के वर्ष 2018–19 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक वित्तीय अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. हमने प्रदेशवासियों की उम्मीदों पर सदैव खरा उतरते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समर्पित भाव से निभाया है। मेरी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। हमारी सरकार ने प्रत्येक बजट में यह प्रयास किया है कि प्रदेश का चहुँमुखी विकास हो और हम विकास के विभिन्न आयामों को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप प्राथमिकता दें।

3. साथियों, सादगी के प्रतीक रहे हमारे 'भारत रत्न' स्व. **लाल बहादुर शास्त्री जी** ने बिल्कुल ठीक कहा था कि :

> ''आर्थिक मुद्दे हमारे लिए सबसे जरूरी हैं, जिनसे हम अपने सबसे बड़े दुश्मन ग़रीबी और बेरोज़गारी से लड़ सकें।''

http://finance.rajasthan.gov.in

इसीलिए हमारी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि समाज के हर तबके–खासतौर पर निर्धन, असहाय और पिछड़े वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर ही हम अपने प्रदेश को गरीबी और बेरोजगारी के अभिशाप से मुक्त कर सकते हैं।

4. राज्य की जनता ने एक बार फिर हम पर भरोसा जताया है। प्रदेशवासियों का यही विश्वास हमारी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। इसी हौसले से हम किसानों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, मजदूरों और वंचित तबकों के उत्थान के लिए दिन–रात कड़ी मेहनत करके एक **'खुशहाल राजस्थान'** बनायेंगे।

5. मुझे सदन को बताते हुए पीड़ा हो रही है कि पिछली सरकार के 5 वर्षों के कुशासन ने राज्य को तरक्की की पटरी से नीचे उतार दिया है। हमारे पिछले सेवाकाल में हमने ठोस कदम उठाते हुए अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए एक गतिशील आर्थिक ढांचा तैयार किया था। पिछली सरकार की गलत नीतियों और अदूरदर्शी सोच के

http://finance.rajasthan.gov.in

कारण कई आर्थिक मापदण्डों पर राज्य पिछड़ गया। चाहे वह आर्थिक वृद्धि दर हो या प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर, चाहे वह कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर हो या बढ़ता कर्ज़ भार, चाहे वह राजकोषीय घाटे की बात हो या ऊर्जा क्षेत्र के कुप्रबंधन की—सब ओर विरासत में हमें बेहद चुनौतिपूर्ण हालात मिले हैं।

6. गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण एवं अन्य दायित्वों (Debt and other liabilities) में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मेरी पिछली सरकार को दिसंबर, 2008 में विरासत में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से ऋण के अनुपात (Debt to GSDP ratio) में 36.38 प्रतिशत का भार मिला था। हमारी सरकार अपने बेहतर वित्तीय प्रबंधन से इसे घटाकर वर्ष 2011—12, 2012—13 एवं 2013—14 में क्रमशः 24.51, 23.87 एवं 23.58 प्रतिशत तक ले आयी। परंतु गत सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से यही ऋण अनुपात पुनः बढ़कर 32 प्रतिशत से अधिक पर पहुंच गया।

http://finance.rajasthan.gov.in

7. वर्ष 2013–14 में हमारी सरकार के समय तक राज्य पर कुल कर्जभार ₹ 1 लाख 29 हजार 910 करोड़ का था। वर्ष 2018–19 के संशोधित अनुमान के अनुसार ऋण एवं दायित्व लगभग 138 प्रतिशत बढ़कर ₹ 3 लाख 9 हजार 385 करोड़ होना अनुमानित है। इस प्रकार गत सरकार राज्य पर एक बड़ा कर्जभार छोड़कर गयी है।

8. हमारे गत कार्यकाल में वर्ष 2010–11 से लेकर वर्ष 2012–13 तक प्रदेश में राजस्व आधिक्य (Revenue Surplus) की स्थिति रही तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) भी 3 प्रतिशत से कम रहा, जिसकी सराहना CAG ने वर्ष 2012–13 की राज्य वित्त की रिपोर्ट में भी की है। गत सरकार ने विरासत में सुदृढ़ वित्तीय स्थिति मिलने के बावजूद भी अपने संपूर्ण कार्यकाल में राज्य को निरंतर राजस्व घाटे (Revenue Deficit) की स्थिति में रखा। साथ ही, पिछली सरकार के समय में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच सही समन्वय नहीं होने से प्रदेश को कई फायदों से वंचित रहना पड़ा।

9. मेरे गत कार्यकाल में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit to GSDP) वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 तक 3 प्रतिशत से कम रहा, परंतु गत सरकार के कार्यकाल वर्ष 2014–15 से ही यह लगातार 3 प्रतिशत से अधिक रहा। राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार करना हमारी प्राथमिकता है। वित्तीय अनुशासन लाकर हम राज्य में सुशासन स्थापित करेंगे।

10. पूर्व सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 के बजट अनुमानों में ₹ 17 हजार 454 करोड़ 85 लाख का राजस्व घाटा और ₹ 28 हजार 11 करोड़ 21 लाख का राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया था। बजट पारित होने के उपरांत गत सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती 8 महीनों में ही ₹ 9 हजार 257 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान कर दिया। यदि इस राशि का प्रावधान बजट में किया जाता तो राजस्व घाटा ₹ 17 हजार 454 करोड़ 85 लाख के स्थान पर ₹ 26 हजार 711 करोड़ 85 लाख एवं राजकोषीय घाटा भी ₹ 37 हजार 268 करोड़ से अधिक होता, जो कि GSDP का

3.96 प्रतिशत है। गत सरकार द्वारा चुनावी लाभ के लिए लुभावनी योजनाओं का क्रियान्वयन बिना समुचित बजट प्रावधान के किये जाने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

11. मेरी सरकार ने गत 2 माह में इस वित्तीय स्थिति को ठीक करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये हैं तथा राजस्व और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में हम सफल भी रहे हैं। सदन के समक्ष वर्ष 2018–19 हेतु प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा ₹ 24 हजार 824 करोड़ 91 लाख तथा राजकोषीय घाटा ₹ 31 हजार 472 करोड़ 80 लाख अनुमानित है, जो कि संभावित 3.96 से घटकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.41 प्रतिशत होना प्रस्तावित है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन की हमारी प्राथमिकता एवं प्रयासों के चलते आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट अनुमानों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात 3 प्रतिशत की सीमा में रहना अनुमानित है।

12. पूर्ववर्ती सरकार को गत पांच सालों में प्रदेश की जनता की सेवा करने का सुनहरा अवसर मिला था, उन्होंने इस अनमोल मौके को गंवा दिया।

मैं माननीय सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी सरकार की सोच प्रांरभ से ही सकारात्मक रही है और नीयत बिल्कुल साफ। हमने हमेशा स्वच्छ, त्वरित एवं पारदर्शी शासन के सिद्धांतों पर चलते हुए राज्य में सुशासन की एक मिसाल कायम की है।

13. पिछले दो माह में लागू किये गये कई बड़े फैसले सुशासन के प्रति हमारे संकल्प के साक्षी हैं। सरकार बनाने से पहले हमने अपने जन–घोषणा पत्र में जनता से विकास के जो वायदे किये, हमने उन वायदों को पूरा करने के लिए सरकार की बागडोर संभालते ही त्वरित कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। **गांधी जी** के इस कथन पर हमें पूरी तरह विश्वास है कि **''खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, उनमें सामंजस्य हो।''**

http://finance.rajasthan.gov.in

14. साथियों, आप इस बात से सहमत होंगे कि आज भी हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की धुरी किसान हैं। गत सरकार ने केवल सहकारी क्षेत्र के लघु एवं सीमांत किसानों को ₹ 50 हजार तक की ऋण माफी एवं बड़े किसानों को आनुपातिक लाभ देने की घोषणा की थी। उस घोषणा का भी 75 प्रतिशत वित्तीय भार हमारी सरकार के ऊपर छोड़कर गए हैं, जो लगभग ₹ 6 हजार करोड़ होगा।

15. मैं सदन को अवगत करवाना चाहूँगा कि पिछली सरकार द्वारा इस ऋण माफी के क्रियान्वयन में जल्दबाजी और आवश्यकतानुसार वित्तीय प्रावधान ना किये जाने के कारण योजना का लाभ ना तो सभी पात्र किसानों को समय रहते मिल पाया और ना ही गंभीर खामियां जो अब उभरकर आ रही हैं, का उचित समाधान सोचा गया।

16. मैंने किसानों के इस दर्द को अपने राज्य भ्रमण के दौरान बहुत नजदीक से महसूस किया है। इसलिए सरकार की बागडोर संभालते ही हमने एक **बड़ा ऐतिहासिक**

http://finance.rajasthan.gov.in

फैसला किसानों के हित में किया। हमने सहकारी क्षेत्र के **समस्त श्रेणियों** के किसानों की **संपूर्ण अल्पकालीन फसली ऋण माफी** का ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि उसकी समयबद्ध क्रियान्विति के लिए योजना बनाकर उस पर अमल भी प्रारंभ कर दिया।

17. हमने सहकारी बैंकों के सभी ऋणी किसानों का 30 नवंबर, 2018 तक बकाया संपूर्ण अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया है। मुझे माननीय सदन को अवगत करवाते हुए हर्ष है कि प्रदेश में **पहली बार** सहकारी बैंकों से जुड़े सभी पात्र लघु, सीमांत एवं अन्य किसानों का संपूर्ण अल्पकालीन फसली ऋण **पूरी तरह माफ** किया जा रहा है।

18. **'ऋण माफी प्रमाण–पत्र'** वितरण शिविरों का आयोजन 7 फरवरी से प्रारंभ हो चुका है। इस वृहद् ऋण माफी से 24 लाख 40 हजार किसानों को लगभग ₹ 9 हजार करोड़ एवं पूर्व सरकार के ₹ 6 हजार करोड़ के ऋणों से राहत मिलेगी। साथ ही, हमारी सरकार ने किसानों की पीड़ा समझते हुए जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों के ₹ 2 लाख तक के अवधि पार कृषि ऋण माफ करने का फैसला भी किया है।

http://finance.rajasthan.gov.in

इससे जहां एक ओर किसान ऋण भार से मुक्त होकर आर्थिक रूप से मजबूत होगा, वहीं दूसरी ओर कर्ज माफी से किसानों की लगभग 4 लाख बीघा कृषि भूमि रहन मुक्त हो सकेगी।

19. साथ ही, हमारी सरकार ने सहकारी क्षेत्र के अलावा अन्य बैंकों के ऋणी किसानों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है। हमने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों को चुकाने में असमर्थ पात्र किसानों का ₹ 2 लाख तक की सीमा का अवधिपार अल्पकालीन फसली ऋण one time settlement लाकर माफ करने का भी कदम उठाया है।

20. गांवों में खेती के साथ–साथ पशुपालन भी रोजगार का मुख्य जरिया है। अपने दुग्ध उत्पादक भाईयों को आर्थिक रूप से मदद प्रदान करने के लिए मैंने अपने पिछले कार्यकाल में '**मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना**' लागू की थी, लेकिन गत सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। पशुपालकों के कल्याण के लिए हमने इस

http://finance.rajasthan.gov.in

योजना को फिर से शुरू किया। एक फरवरी, 2019 से राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को दुग्ध संकलन पर राज्य सरकार द्वारा ₹ 2 प्रति लीटर की दर से बोनस दिया जा रहा है। इस योजना से 5 लाख से अधिक सक्रिय दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे।

21. गरीब़ और बेसहारा लोगों को दी जाने वाली पेंशन उनके जीवनयापन का एकमात्र सहारा होती है। हमने अपने पिछले सेवाकाल में इन जरूरतमंद लोगों के प्रति उदार एवं संवेदनशील नजरिया अपनाते हुए सामाजिक पेंशन नियमों एवं प्रक्रियाओं को काफी सरल बनाया था और लाखों योग्य व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत की गयी थी। परंतु पिछली सरकार द्वारा की गयी उपेक्षा की मार से यह वर्ग भी नहीं बच सका। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी कल्याणकारी योजना में भी पिछली सरकार की नीतियां राजनीति से प्रेरित रहीं लेकिन हमारी सरकार इन जरूरतमंद लोगों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है।

http://finance.rajasthan.gov.in

22. राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में ही बुजुर्गों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन में बढोतरी का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2019 से लागू कर दी गयी है जिसमें 75 वर्ष से कम आयु के वृद्ध पेंशनर को अब ₹ 500 के स्थान पर ₹ 750 तथा 75 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के पेंशनर को ₹ 750 के स्थान पर एक हजार रुपये प्रतिमाह मिलने प्रारंभ हो गये हैं। इस बढ़ोतरी का लाभ लगभग 46 लाख पेंशनरों को मिलेगा एवं इस पर सालाना ₹ 1 हजार 377 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।

23. हमने विशेष योग्यजनों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया है। हमारी सरकार विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल नारी पेंशन राशि में भी शीघ्र बढ़ोतरी करेगी।

24. हमारी सरकार ने किसानों को वृद्धावस्था पेंशन देने का अभूतपूर्व कल्याणकारी फैसला लेकर एक अभिनव पहल की है। प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा

http://finance.rajasthan.gov.in

जब सभी पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को एक सम्मान राशि प्रतिमाह उपलब्ध करवाई जायेगी। लघु एवं सीमांत श्रेणी में आने वाले कृषक परिवारों की 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष इस पेंशन के हकदार होंगे। इस योजना में 75 वर्ष से कम आयु के किसानों को ₹ 750 प्रतिमाह तथा 75 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के किसानों को ₹ एक हजार प्रतिमाह की पेंशन दी जायेगी।

25. अपने पिछले शासनकाल में हमने वर्ष 2010 में **''मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना''** प्रारंभ करते हुए राज्य के बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल. एवं अंत्योदय परिवारों को दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ उपलब्ध करवाया था। उसके बाद हमने वर्ष 2013 में इन समस्त श्रेणियों के परिवारों को एक रुपया प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ उपलब्ध करवाया।

26. इसी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल. तथा अंत्योदय परिवारों को दो रुपये प्रति किलोग्राम की

http://finance.rajasthan.gov.in

जगह पुनः एक रुपया प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ उपलब्ध कराने की घोषणा मैं पूर्व में ही कर चुका हूँ। माननीय सदन को सूचित करते हुए मुझे खुशी है कि इस योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है तथा पात्र परिवारों को इसका लाभ 1 मार्च, 2019 से मिलने लगेगा। इस योजना से लगभग 1 करोड़ 74 लाख लोग लाभान्वित होंगे और इस पर सालाना लगभग ₹ 115 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा होगा।

27. बेरोजगारी आज प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की भी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बेरोजगारी के कारण युवावर्ग की ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग नहीं होने से न सिर्फ उनमें बल्कि उनके परिवार में भी निराशा घर कर जाती है। युवावर्ग जब तक स्वयं किसी लाभप्रद रोजगार से न जुड़े तब तक उसे आर्थिक संबल देने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिये। इसी दिशा में, जन घोषणा पत्र में किये गये वायदे के अनुरूप शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग के लिए **'मुख्यमंत्री युवा संबल योजना'** प्रारंभ की गयी है। हमने बेरोजगारी भत्ते में अभूतपूर्व बढ़ोतरी करते हुए उसे लगभग

http://finance.rajasthan.gov.in

5 गुना कर दिया है। पूर्ववर्ती सरकार में पात्र बेरोजगार महिला एवं विशेष योग्यजन आशार्थी को ₹ 750 एवं पुरुष आशार्थियों को ₹ 650 प्रतिमाह का बेरोजगारी भत्ता मिलता था, जिसे बढ़ाकर हमने क्रमशः ₹ 3 हजार 500 और ₹ 3 हजार प्रतिमाह कर दिया है। इस बढ़ोतरी का लाभ माह फरवरी, 2019 से देय भत्ते पर प्राप्त होगा। योजना से लगभग 1 लाख 60 हजार युवा लाभान्वित होंगे।

28. शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जिसे हम दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी क्रम में, बालिकाओं को उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने के एक और वायदे को पूरा करते हुए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों के स्नातक यथा BA / B.Com / B.Sc एवं स्नातकोत्तर यथा MA/ M.Com/ M.Sc की समस्त छात्राओं को सरकारी कॉलेज– विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा मुफ्त प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसे सत्र 2019–20 से लागू किया जायेगा, जिसमें अब छात्राओं से महाविद्यालयों में 'राजकीय निधि कोष' एवं विश्वविद्यालयों में 'विश्वविद्यालय निधि कोष'

http://finance.rajasthan.gov.in

की राशि नहीं ली जायेगी। इससे लगभग 2 लाख 30 हजार छात्रायें प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगी।

29. हमारे पिछले कार्यकाल में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर एवं डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना की गयी थी। गत सरकार द्वारा इन विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया। हमने जन घोषणा पत्र में किये गये वायदे के अनुसार इन विश्वविद्यालयों की पुनः स्थापना हेतु विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत कर दिये हैं। इन विधेयकों को इसी सत्र में पारित करवाकर इन दोनों विश्वविद्यालयों की पुनः स्थापना की जायेगी, जिससे विधि एवं पत्रकारिता दोनों ही क्षेत्रों में उच्चतर अध्ययन एवं शोध कार्य को नया आयाम मिलेगा। वर्तमान में इन क्षेत्रों में संचालित महाविद्यालय भिन्न–भिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध होकर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से विभिन्न

http://finance.rajasthan.gov.in

महाविद्यालयों में इन विषयों में दी जा रही शिक्षा में भी एकरूपता लायी जा सकेगी। इस हेतु ₹ 16 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

30. मेरी गत सरकार द्वारा राज्य में एक स्काउट आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया था, जिस पर सरकार ने आवश्यक बजट प्रावधान करके भवन भी बना दिया था लेकिन पूर्व सरकार ने इसे बंद कर दिया। इस वर्ष इस विद्यालय को पुनः चालू करवाया जायेगा।

31. महाविद्यालयों में गुणवत्ता विकास एवं सांस्थानिक उत्कृष्टता हेतु जिला स्तर पर सहायता के लिए Resource Assistance & College Excellence (RACE) Centers की स्थापना करवायी जायेगी, जिसके माध्यम से सभी महाविद्यालयों को संसाधन सहायता एवं गुणवत्ता विकास संबंधी कार्य किया जायेगा। इस योजना से सभी महाविद्यालय लाभान्वित होंगे।

http://finance.rajasthan.gov.in

32. महाविद्यालयों में गुणवत्ता प्रबंधन एवं नियमित मॉनिटरिंग हेतु Annual Auditing Programme प्रारंभ किया जायेगा, जिसके द्वारा सभी महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं सांस्थानिक उत्कृष्टता का प्रबंधन एवं राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग की जायेगी। इस योजना से सभी कालेज लाभान्वित होंगे।

33. आगामी वित्तीय वर्ष में जनजाति क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सराडा (उदयपुर) एवं पीपलखूट (प्रतापगढ़) में 4 नवीन आवासीय विद्यालय प्रारम्भ किए जायेंगे।

34. जनजाति क्षेत्र में सौर ऊर्जा आधारित 50 सामुदायिक जलोत्थान परियोजनाएँ प्रारम्भ की जायेंगी, जिससे 1 हजार 800 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

35. वागड़ क्षेत्र के सुप्रसिद्ध तीर्थ बेणेश्वर धाम के समग्र विकास के लिए मैं 'बेणेश्वर धाम विकास बोर्ड' के गठन की घोषणा करता हूँ।

36. राज्य में निवेश प्रोत्साहन, निर्यात संवर्द्धन और रोजगारपरक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मैं एक नवीन औद्योगिक नीति बनाने की घोषणा करता हूँ। राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया जाएगा।

37. पूर्ण पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता का त्वरित गति से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरण (DBT) करने का निर्णय लिया गया है। जिससे 31 मार्च, 2019 तक राज्य के संवत् 2075 के सूखे से प्रभावित किसान लाभान्वित होंगे।

38. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवायी जा रही दवाईयों का दायरा बढ़ाते हुए कैंसर, हृदय, श्वास एवं गुर्दा रोग आदि के उपचार हेतु

http://finance.rajasthan.gov.in

नयी दवाओं को शामिल किया जायेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में रोगियों की सुविधा के लिए राज्य में 600 नवीन दवा वितरण केन्द्र खोले जायेंगे।

39. आमजन को गुणवत्तायुक्त औषधियां उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण कर शीघ्र चालू किया जायेगा। राजस्थान देश का प्रथम राज्य होगा जहां इस प्रकार की 4 प्रयोगशालायें कार्यरत होंगी।

40. राज्य में मौसमी बीमारियों एवं संक्रामक रोगों के प्रभावी नियंत्रण एवं संबंधित अनुसंधान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़े हुए संक्रामक रोग संस्थान को उच्च स्तरीय अनुसंधान केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

41. राज्य में किसानों द्वारा कृषि प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नयी नीति जारी की जायेगी। किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा विपणन व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

42. 17 दिसंबर, 2018 को हमारी सरकार के शपथ ग्रहण के दिन महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रतिदिन 8 लाख 84 हजार 930 श्रमिक नियोजित थे, जो 11 फरवरी 2019 को बढ़कर 25 लाख 94 हजार 768 हो गये। साथ ही, ग्रामीण विकास विभाग की 100 दिवसीय कार्ययोजना के अंतर्गत 9 हजार 894 ग्राम पंचायतों में न्यूनतम 1 चारागाह विकास, सामुदायिक जलाशय विकास, श्मशान–कब्रिस्तान विकास, खेल मैदान विकास, व्यक्तिगत जल कुंड/टांका तथा रोड विद ड्रेनेज के कार्य स्वीकृत किये जायेंगे।

43. ग्राम पंचायत स्तर पर फ्री इंटरनेट हेतु अभी तक लगभग 8 हजार वाईफाई hotspot उपलब्ध करवाये जा चुके हैं जिन्हें आगामी वर्ष में 20 हजार करना

http://finance.rajasthan.gov.in

प्रस्तावित है। अब तक 3 हजार ग्राम पंचायतें वाईफाई की जा चुकी हैं तथा शेष रही ग्राम पंचायतों को भी वाईफाई किया जायेगा।

44. युवाओं के लिए, जो कि Start-ups के रूप में कोई पहल (initiative) करना चाहते हैं तो उन्हें plug and play facility उपलब्ध करवाने वाले incubators में सीटों की संख्या एक हजार से बढ़ाकर दो हजार की जायेगी।

45. माननीय सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि राजस्थान फीडर (पंजाब क्षेत्र) एवं सरहिन्द फीडर के जीर्णोद्धार के कार्य हेतु 20 दिन पहले ही राजस्थान, पंजाब एवं केन्द्र सरकार के मध्य MoU हस्ताक्षरित हुआ है। इस अनुबंध के अंतर्गत इन नहरों के जीर्णोद्धार हेतु ₹ 1 हजार 976 करोड़ 73 लाख के कार्य आगामी तीन से चार वर्ष में संपादित कराये जायेंगे। जिससे इंदिरा गांधी एवं भाखड़ा प्रणाली के किसानों को सिंचाई हेतु बेहतर जल उपलब्ध होगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

46. इंदिरा गांधी फीडर (राजस्थान क्षेत्र), मुख्य नहर एवं प्रणाली के जीर्णोद्धार कार्य हेतु ₹ 812 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं, जिससे क्षेत्र के किसानों को टेल तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकेगी।

47. वनाधिकार अधिनियम की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए ऑन–लाईन आवेदन एवं वनाधिकार पत्र जारी किये जायेंगे।

48. राज्य में वानिकी एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की सहभागिता से एक नया प्रोजेक्ट तैयार कर Japan International Co-operation Agency (JICA) को प्रस्तुत किया जायेगा।

49. अब मैं, वर्ष 2019–20 के बजट अनुमानों के संक्षिप्त तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

50. वर्ष 2019–20 में ₹ 2 लाख 31 हजार 654 करोड़ 51 लाख का कुल व्यय अनुमानित है। इस बजट में राजस्व व्यय ₹ 1 लाख 90 हजार 753 करोड 74 लाख और

http://finance.rajasthan.gov.in

राजस्व प्राप्तियां ₹ 1 लाख 67 हजार 449 करोड़ 67 लाख अनुमानित की गई हैं एवं राजस्व खाते में ₹ 23 हजार 304 करोड़ 7 लाख का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। प्रदेश का राजकोषीय घाटा ₹ 29 हजार 983 करोड़ होना अनुमानित है जो कि राज्य की अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। राज्य का Debt to GSDP ratio 33.96 प्रतिशत रहना अनुमानित है। मैं, माननीय सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि राज्य की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए हम हर संभव कदम उठायेंगे।

51. FRBM Act की धारा 5 के अंतर्गत वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले 'मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण' और 'राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण' भी सदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

52. वर्ष 2019–20 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है और अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगे भी प्रस्तुत की जा रही हैं। आगामी

http://finance.rajasthan.gov.in

लोकसभा चुनावों के कारण बजट प्रस्तावों पर विधानसभा में चर्चा करवायी जाकर 31 मार्च, 2019 से पूर्व वार्षिक बजट पारित करवाया जाना संभव नहीं है। अतः हम वित्तीय वर्ष 2019–20 के पहले चार महीनों यथा 31 जुलाई, 2019 तक के व्यय हेतु लेखानुदान का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस लेखानुदान में मांग संख्या 7–निर्वाचन, मांग संख्या 27–पेयजल, मांग संख्या 34–प्राकृतिक आपदाओं से राहत और मांग संख्या 36–सहकारिता के अंतर्गत पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित राशि की मांग की गई है क्योंकि इन मदों में होने वाला व्यय सामयिक है और इन्हीं महीनों में अधिक व्यय होने की संभावना है तथा इस व्यय को स्थगित नहीं किया जा सकता है। लेखानुदान की अवधि यथा 31 जुलाई, 2019 के पूर्व ही सदन के समक्ष परिवर्तित बजट अनुमान व प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

53. मैं लेखानुदान प्रस्तावों को, स्वीकृत करने के अनुरोध के साथ, माननीय सदन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।